



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072026-274434
CG-DL-E-13072026-274434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 526]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 584(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 113 की उपधारा (2) के खंड (ग) और (यड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की बायोमेट्रिक पहचान दस्तावेज़) नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक पहचान दस्तावेज़) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना - जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे,-
(क) कोई नाविक, जो भारत का नागरिक है और जिसके पास विधिमान्य भारतीय सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र है; और
(ख) यदि किसी नाविक को भारत में स्थायी निवासी का दर्जा अनुदत्त दिया गया है और ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे दस्तावेज़ हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके।
- परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) "सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र" से अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार जारी किया गया एक सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;
- (ग) "अभिसमय" से नाविकों के पहचान दस्तावेज़ अभिसमय (पुनरीक्षित), 2003 (संख्या 185) अभिप्रेत है।
- (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) "जारी करने वाला प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 3 के खंड (61) में परिभाषित शिपिंग मास्टर अभिप्रेत है।
- (च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- क. "नाविक का पहचान दस्तावेज़" से इन नियमों के अधीन जारी किया गया नाविक का पहचान दस्तावेज़ अभिप्रेत है;
- (ज) "पोत मालिक" से अधिनियम की धारा 55 के खंड (ग) में परिभाषित पोत मालिक अभिप्रेत है; और
- (झ) "नाविक पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल" से महानिदेशक द्वारा निम्नलिखित के लिए स्थापित और अनुरक्षित एक वेब-आधारित प्रणाली अभिप्रेत है, -
- (i) नाविक के पहचान दस्तावेज़ जारी करने, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करना और इन नियमों के अधीन अन्य प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना; और
- (ii) ऐसे आवेदनों और प्रमाणपत्रों से संबंधित सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को संरक्षित करना, बनाए रखना और उन तक पहुंच प्रदान करना।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का किंतु अधिनियम में परिभाषित का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया है।
4. नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करने के लिए आवेदन - (1) नाविक पहचान दस्तावेज़ अभिप्राप्त करने का इच्छुक आवेदक प्ररूप-1 के माध्यम से नाविक पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल और जारी करने वाले प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा, जिसमें आवेदक अपनी पसंद की उपलब्ध तारीखों और डाटा का संग्रहण केंद्र चयन करेगा।
- (2) आवेदक को नियत तारीख और समय पर डाटा संग्रहण केंद्र में अपने सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र या नियम 2 के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेजों और मूल पासपोर्ट के साथ उपस्थित होना होगा।
- (3) जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में सत्यापन अधिकारी आवेदक की नियुक्ति की तारीख से पहले जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र अभिलेख के साथ आवेदन का सत्यापन करेगा।
- (4) बायोमेट्रिक डाटा संग्रहित करने के पश्चात, जारी करने वाला प्राधिकारी आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर नाविक पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से प्ररूप-2 में नाविक का पहचान दस्तावेज़ मुद्रित और जारी करेगा।
- (5) नाविक का पहचान दस्तावेज़ आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा।
- परंतु कि अत्यावश्यक मामलों में, जारी करने वाला प्राधिकारी अत्यावश्यक के दस्तावेजी प्रमाण या जलयान मालिक से अपेक्षाएं प्रस्तुत होने पर आवेदक को वैयक्तिक रूप से नाविक का पहचान दस्तावेज़ दे सकता है,
- (6) नाविक का पहचान दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय में बिना परिदान किए वापस कर दिए जाने की दशा में है, आवेदक उचित पहचान या दस्तावेज़ीकरण के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से इसे एकत्र कर सकता है।
- (7) आवेदक को जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नाविक पहचान दस्तावेज़ प्राप्त नहीं होने की दशा में, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी नाविक पहचान दस्तावेज़ रद्द कर दिया जाएगा।
- (8) नियम 2 में विनिर्दिष्ट मानदंडों में से कोई भी पूरा नहीं किए जाने की दशा में, जारी करने वाला प्राधिकारी नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देगा।
- (9) नाविक का पहचान दस्तावेज़ हमेशा धारक के कब्जे में रहेगा, सिवाय जब इसे संबद्ध जलयान के मास्टर द्वारा धारक की लिखित सहमति से सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है।

5. विधि मान्यता की अवधि। - इन नियमों के अधीन जारी किया गया नाविक का पहचान दस्तावेज़, इसके जारी होने या नवीनीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।

6. नाविक के पहचान दस्तावेज़ का नवीनीकरण (1) जहां नाविक पहले से ही वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक बायोमेट्रिक पहचान दस्तावेज़) नियम, 2016 के अधीन जारी किए गए नाविक के पहचान दस्तावेज़ पहले से ही नाविक के कब्जे में है, जिसकी विधि मान्यता अवधि दस वर्ष है, ऐसा नाविक सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र के साथ प्ररूप-3 में इसके जारी होने के पहले पांच वर्षों के पश्चात एक बार में और पांच वर्ष तक की अवधि के लिए नवीनीकरण आवेदन कर सकता है और अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय कर सकता है।

(2) जहां नियम 4 के अधीन नाविक का पहचान दस्तावेज़ जारी किया गया है, नाविक के पहचान दस्तावेज़ के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन उसके अवसान की तारीख से अठारह महीने पूर्व या उसके अवसान की तारीख के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है।

(3) एक नाविक के पहचान दस्तावेज़ धारक को प्ररूप-3 में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा, साथ ही सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र या नियम 4 में प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नाविक के पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से नियम 2 के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य दस्तावेज़, संलग्न करने होंगे और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करना होगा।

7. नाविक पहचान दस्तावेज़ की प्रतिलिपि जारी करना-(1) जहां भारत में नाविक का पहचान दस्तावेज़ खो जाता है, नाविक के पहचान दस्तावेज़ धारक, पुलिस शिकायत की प्रति और नाविक के पहचान दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्रति जारी करने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप-3 में संबद्ध जारी करने वाले प्राधिकारी को नाविक पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

(2) जहां किसी नाविक का पहचान दस्तावेज़ जलयान फलक पर खो जाता है, नाविक पहचान दस्तावेज़ धारक नाविक पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से प्ररूप-3 में संबद्ध जारी करने वाले प्राधिकारी को जांच रिपोर्ट, आधिकारिक लॉगबुक प्रविष्टियों और नाविक के पहचान दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्रति जारी करने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकता है।

(3) जहां असाधारण परिस्थितियों के अधीन नाविक के पहचान दस्तावेज़ खो जाते हैं और उचित परिस्थितियों के कारण लॉगबुक प्रविष्टि या अन्य आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, जो संबद्ध नाविक के पहचान दस्तावेज़ धारक या जलयान के मालिक के नियंत्रण से परे है, तो नाविक के पहचान दस्तावेज़ धारक को फ्लैग स्टेट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ी साक्ष्य या पोत के मालिक के साथ नाविक पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से प्ररूप-3 से संबद्ध जारी करने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और नाविक के पहचान दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्रति जारी करने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार फीस का संदाय करेंगे।

(4) नाविक के पहचान दस्तावेज़ की संख्या नाविक के पहचान दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्रति में अपरिवर्तित रहेगी:

परंतु कि किसी जलयान के फलक पर आग लगने या किसी अन्य समुद्री खतरे के कारण प्रमाण पत्र की हानि की दशा में ऐसी कोई फीस प्रभारित नहीं होगी।

8. प्रतिस्थापन नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करना - (1) जहां नाविक के पहचान दस्तावेज़ विरूपित, नष्ट, खो, क्षत-विक्षत या फट जाते हैं, धारक एक प्रतिस्थापन नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करने के लिए प्ररूप-3 में नाविक के पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से जारी करने वाले प्राधिकारी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकता है।

(2) विद्यमान नाविक के पहचान दस्तावेज़ में किसी भी विशिष्टियों में परिवर्तन या उपांतरण के लिए आवेदन प्ररूप-3 में नाविक के पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से, एक विधिमान्य पासपोर्ट और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ होगा।

(3) आवेदक प्रतिस्थापन नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करने से पहले विद्यमान नाविक पहचान दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा।

(4) प्रतिस्थापन नाविक पहचान दस्तावेज़ में नाविक पहचान दस्तावेज़ संख्या अपरिवर्तित रहेगी।

9. नाविक के पहचान दस्तावेज़ का निलंबन, वापसी या रद्दकरण - (1) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (3) के अधीन, जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नाविक के पहचान दस्तावेज़ को रोकने का निदेश दे सकता है।

(2) जहां माल की तस्करी के की दशा में अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन कोई नाविक किसी अपराध का दोष सिद्ध हो जाता है, महानिदेशक जारी करने वाले प्राधिकारी को निदेश दे सकता है कि ऐसे नाविक के नाविक पहचान दस्तावेज़ को यथा स्थिति रद्द या निलंबित कर दिया जाए, ऐसी अवधि के लिए जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) यदि यह अभिनिश्चित किया जाता है कि नाविक के पहचान दस्तावेज़ धारक अब नियम 2 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नाविकों का पहचान दस्तावेज़ तुरंत वापस ले लिया जाएगा।

(4) नाविकों के पहचान दस्तावेज़ धारक की मृत्यु या गुम होने की किसी भी रिपोर्ट की दशा में, संबद्ध जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नाविकों के पहचान दस्तावेज़ को रद्द किया जा सकता है।

(5) सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र के रद्द होने की दशा में, नाविकों का पहचान दस्तावेज़ संबद्ध जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

(6) रद्द करने, वापस लेने या निलंबन का प्रत्येक आदेश कारणों को लेखबद्ध करके जारी किया जाएगा और जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नाविक के पहचान दस्तावेज़ धारक, भारत में अन्य सभी जारी करने वाले प्राधिकारियों और महानिदेशक को भेजा जाएगा।

(7) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि नाविक के पहचान दस्तावेज़ धारक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(8) व्यक्ति जिसका नाविक पहचान दस्तावेज़ रद्द कर दिया गया है, उसे नाविक पहचान दस्तावेज़ के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से, ऐसी अवधि के लिए जो रद्दकरण के आदेश में जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, वंचित किया जाएगा।

10. एक नाविक के पहचान दस्तावेज़ का अभ्यर्पण - (1) स्थायी अक्षमता की दशा में, नाविकों के पहचान दस्तावेज़ धारक को प्रतिकर के संदाय पर तुरंत जारी करने वाले प्राधिकारी को उसका नाविक पहचान दस्तावेज़ अभ्यर्पण करना होगा, जिसके पश्चात जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन के माध्यम से उसे रद्द कर देगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसा विकृत रद्द सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र वापस कर देगा।

(2) यदि नाविक पहचान दस्तावेज़ धारक समुद्री सेवा को बंद करना चाहता है और अपने नाविक पहचान दस्तावेज़ को रद्द करने का अनुरोध करता है, तो अपना नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी को अभ्यर्पण करेगा, जिसके पश्चात जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन के माध्यम से उसी को रद्द कर देगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसे रद्द सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र वापस कर देगा।

11. अभिसमय के अधीन जारी नाविकों के पहचान दस्तावेज़ की मान्यता और सुविधा - सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों के अधीन, एक व्यक्ति, भारतीय या अन्यथा, द्वारा धारित विधिमान्य नाविक पहचान दस्तावेज़, जो अभिसमय के अनुसार जारी किया गया है, प्रवेश, तट अवकाश, पारगमन और अंतरण के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त होगा।

12. गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन - महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि नाविकों के पहचान दस्तावेज़ अभिसमय के अनुच्छेद 5 के अनुसार एक सुरक्षित और गुणवत्ता-नियंत्रित प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

13. फीस - (1) इन नियमों के अधीन संदेय फीस ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है या ऐसे अन्य फीस जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सके।

(2) फीस जारी करने वाले प्राधिकारी को नाविक के पहचान दस्तावेज़ ई-मॉड्यूल के माध्यम से संदेय होगी।

14. प्रशासनिक अपील तंत्र - (1) इन नियमों के अधीन जारी प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, अधिकारिता प्रधान अधिकारी, को अपील कर सकता है।

(2) प्रधान अधिकारी, अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी अपील का निपटारा करेगा।

(3) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि पार्टियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(4) इस नियम के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ अपील किए गए आदेश की एक प्रति संलग्न होगी।

अनुसूची

फीस

[नियम 4 (1), 6 (1), 6 (3), 7 (1), 7 (2), 7 (3), 8 (1), 13 (1) देखिए]

क्र. सं.	विवरण	भारतीय रुपये में रकम (आईएनआर)
(1)	(2)	(3)
1	नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करने के लिए आवेदन।	3000/-
2.	नाविक पहचान दस्तावेज़ के नवीनीकरण के लिए आवेदन।	3000/-
3.	प्रतिलिपि नाविक पहचान दस्तावेज़ के लिए आवेदन।	3000/-
4.	नाविक पहचान दस्तावेज़ के प्रतिस्थापन या परिवर्तन के लिए आवेदन।	3000/-

प्ररूप-1

[नियम 4 के उप-नियम (1) देखिए]

नाविक पहचान दस्तावेज़ के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदन संख्या: (ऑनलाइन प्रणाली जनित सं.)

2. फीस ब्यौरा:

3. भारतीय राष्ट्रीय नाविक डेटाबेस संख्या:

जारी करने की तारीख:

4. सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र सं. या ऐसे दस्तावेज़ जो नियम 2 के खंड (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं:

जारी करने की तारीख:

अवसान की तारीख:

जारीकर्ता प्राधिकारी:

5. नाम
6. पिता का नाम:
7. लिंग:
8. जन्म की तारीख:
9. जन्म का स्थान:
10. राष्ट्रियता:
11. ई-मेल पता:
12. मोबाइल नं.:
13. ऊँचाई:
14. पहचान चिह्न (यदि कोई हो):
15. पता:

सड़क:

ग्राम या डाक या तहसील:

ज़िला:

पिन कोड:

फोन नंबर :

निकटतम पुलिस स्टेशन:

16. क्या आपने पहले नाविक पहचान दस्तावेज़ के लिए आवेदन किया है:

17. क्या आपको कभी भी अभिप्राप्त करने से वंचित किया गया है:

क. सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र:

ख. नाविक का पहचान दस्तावेज़:

हस्ताक्षर:।

तारीख:

घोषणा

1. मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन, मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया या विकृत नहीं किया गया है।
2. मैं यह भी पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मुझे पहले नाविकों के पहचान दस्तावेज़ जारी नहीं किए गए हैं और मैंने भारत में किसी अन्य जारी करने वाले प्राधिकारी को नाविकों के पहचान दस्तावेज़ के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
3. मुझे पता है कि यदि मुझे कभी भी गठन में कोई सामग्री छिपाने या विकृत करने के लिए पाया जाता है और जारी करने वाले प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मैंने झूठी या गलत जानकारी प्रस्तुत

करके नाविकों का पहचान दस्तावेज़ अभिप्राप्त किया है, तो वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की पहचान दस्तावेज़) नियम, 2026 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार मेरे नाविकों का पहचान दस्तावेज़ रद्द कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा या तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा।।

स्थान:।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

आवेदक का नाम

प्ररूप-2

[नियम 4 के उप-नियम (4) देखिए]

नाविक पहचान दस्तावेज़ जारी करने का प्ररूप

अग्र फोटो

नाम

राष्ट्रीयता _____ लिंग जन्म की तारीख

जन्म स्थान

पहचान की विशेषताओं को पहचानना

दस्तावेज़ संख्या।।

अवसान की तारीख -

जारी करने की तारीख

जारी करने का स्थान

हस्ताक्षर

पृष्ठ

यह दस्तावेज़ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाविक पहचान दस्तावेज़ अभिसमय (पुनरीक्षित), 2003 के प्रयोजन के लिए एक नाविक पहचान दस्तावेज़ है। यह दस्तावेज़ एक स्टैंड-अलोन दस्तावेज़ है और पासपोर्ट नहीं है।

मुंबई

जारी करने वाले प्राधिकारी के संपर्क ब्यौरा

फोन : यूआरएल: ;<

प्ररूप-3

(नियम 6, 7 और 8 देखिए)

नाविक के पहचान दस्तावेज़ के नवीनीकरण या प्रतिलिपि या प्रतिस्थापन जारीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

- 1) आवेदन संख्या: (ऑनलाइन प्रणाली जनित सं.)
- 2) निम्नलिखित आवेदन के लिए:
 - क) नाविक के पहचान दस्तावेज़ का नवीनीकरण:
 - ख) प्रतिलिपि नाविक पहचान दस्तावेज़:
 - ग) प्रतिस्थापन नाविक पहचान दस्तावेज़:
- 3) फीस ब्यौरा:
- 4) भारतीय राष्ट्रीय नाविक डेटाबेस सं.
जारी करने की तारीख
- 5) सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र सं. या ऐसे दस्तावेज़ जो नियम 2 के खंड (ii) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं:
जारी करने की तारीख:
अवसान की तारीख:
जारीकर्ता प्राधिकारी:
- 6) नाविक पहचान दस्तावेज़ संख्या:
जारी करने की तारीख:
अवसान की तारीख:
जारीकर्ता प्राधिकारी:
- 7) नाम
- 8) क्या आपको कभी भी अभिप्रास करने से वंचित किया गया है -
 - क) सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र:
 - ख) नाविक का पहचान दस्तावेज़:
- 9) क्या आपका नाविक पहचान दस्तावेज़ इन नियमों के अधीन रद्द या वापस ले लिया गया है या निलंबित कर दिया गया है:
- 10) आपके नाविक के पहचान दस्तावेज़ में किसी भी विवरण के उपांतरण का ब्यौरा
- 11) क्या आपका नाविक पहचान दस्तावेज़:
 - क) विरूपित:
 - ख) नष्ट:
 - ग) खोया:
 - घ) क्षत-विक्षत:
 - ङ) फटा

12) यदि नाविक का पहचान दस्तावेज़ खो जाता है (जैसा लागू हो):

क) शिकायत संख्या:

तारीख:

पुलिस स्टेशन:

ख) जांच रिपोर्ट:

ग) आधिकारिक लॉगबुक प्रविष्टि:

घ) ध्वजराष्ट्र या पोत स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ी साक्ष्य:

हस्ताक्षर :

तारीख: . . .

घोषणा

1. मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया या विकृत नहीं किया गया है।
2. मैं यह भी पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैंने भारत में किसी अन्य जारीकर्ता प्राधिकारी को नाविक पहचान दस्तावेज़ के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
3. मुझे पता है कि यदि मुझे किसी भी समय कोई भौतिक जानकारी छिपाने या विकृत करने के लिए पाया जाता है और जारी करने वाले प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि मैंने झूठी या गलत जानकारी प्रस्तुत करके नाविक की पहचान दस्तावेज़ अभिप्राप्त किया है, तो वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों के पहचान दस्तावेज़) नियम, 2026 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार मेरे नाविक की पहचान दस्तावेज़ को तत्काल रद्द, रोक दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाएगा।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर _____

तारीख

आवेदक का नाम

[फा. सं. SY-19014/197/2025-MG-Part(1)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

G.S.R. 584(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (ze) of sub-section (2) of section 113 read with clause (c) of sub-section (1) of section 58 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Seafarers' Bio-metric Identity Document) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

- 1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Seafarers' Identity Document) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Application.** — Unless otherwise specified, these rules shall apply to, —

(a) any seafarer who is a citizen of India and in possession of a valid Indian continuous discharge certificate; and

(b) a seafarer who has been granted the status of permanent resident in India, if any, and such other person possessing such documents as may be notified by the Central Government.

- 3. Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “continuous discharge certificate” means a continuous discharge certificate issued in accordance with the applicable rules made under the Act;

(c) “convention” means the Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185).

(d) “Form” means the Form annexed to these rules;

(e) “issuing authority” means shipping master as defined in clause (61) of section 3 of the Act;

(f) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(g) “seafarer's identity document” means a seafarer's identity document issued under these rules;

(h) “ship owner” means ship owner as defined in clause (c) of section 55 of the Act; and

(i) “seafarer's identity document e-module” means a web-based system set up and maintained by the Director-General for, —

(i) facilitating submission of applications for issuance, renewal and replacement of seafarer's identity document and facilitating other processes under these rules; and

(ii) preserving, retaining and granting access to secure electronic records relating to such applications and certificates.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

- 4. Application for issuance of seafarer's identity document.** — (1) An applicant desirous of obtaining seafarer's identity document shall apply in the Form-I through the seafarer's identity document e-module and pay the fee as specified in Schedule, to the issuing authority wherein the applicant shall select available dates and data collection centre of their choice.

(2) The applicant shall appear on the appointed date and time at the data collection centre, along with their continuous discharge certificate or such other documents notified by the Central Government under clause (b) of rule 2 and original passport.

(3) The verification officer in the office of the issuing authority shall verify the application with the continuous discharge certificate records available in the office of issuing authority in advance of the appointment date of the applicant.

(4) After collecting biometric data, the issuing authority shall print and issue the seafarer's identity document in Form-II through the seafarer's identity document e-module within thirty days from the date of application.

(5) The seafarer's identity document shall be dispatched to the address provided by the applicant in their application through speed post.

Provided that in urgent cases, the issuing authority may deliver the seafarer's identity document to the applicant in person, upon production of documentary proof of urgency or vessel joining requirements from the ship owner.

(6) In case the seafarer's identity document is returned undelivered to the office of the issuing authority, the applicant may collect the same in person from the office of the issuing authority with proper identification or documentation.

(7) In case an applicant does not receive the seafarer's identity document within a period of one year from the date of issuance, the issued seafarer's identity document shall be cancelled by the issuing authority.

(8) In case any of the criteria specified in rule 2 is not fulfilled, the issuing authority shall reject the application for issuance of seafarer's identity document.

(9) The seafarer's identity document shall remain in the holder's possession at all times, except when it is held for safe keeping by the master of the vessel concerned, with the holder's written consent.

5. Period of validity. — A seafarer's identity document issued under these rules shall be valid for a period of five years from the date of its issuance or renewal.

6. Renewal of seafarer's identity document. — (1) Where any seafarer is already in possession of a seafarer's identity document issued under the Merchant Shipping (Seafarers' Bio-metric Identity Document) Rules, 2016 having a validity period of ten years, such seafarer may apply for renewal after the first five years of its issuance for a further period up to five years at a time in Form-III accompanied by the continuous discharge certificate and pay the fee as specified in Schedule.

(2) Where a seafarer's identity document is issued under rule 4, any application for renewal of seafarer's identity document may be made within eighteen months prior to the date of expiry or at any time after the date of its expiry.

(3) A seafarer's identity document holder shall apply for renewal in Form-III, accompanied by the continuous discharge certificate or such other documents notified by the Central

Government under clause (b) of rule 2, through the seafarer's identity document e-module following the process in rule 4 and pay the fee as specified in Schedule.

7. **Issuance of duplicate seafarer's identity document.** — (1) Where a seafarer's identity document is lost in India, the seafarer's identity document holder may apply to the concerned issuing authority in Form-III through the seafarer's identity document e-module along with a copy of the police complaint and fee as specified in Schedule for issuance of a duplicate copy of seafarer's identity document.

(2) Where a seafarer's identity document is lost on-board vessel, the seafarer's identity document holder may apply to the concerned issuing authority in Form-III through the seafarer's identity document e-module along with the enquiry report, official logbook entries, and fee as specified in Schedule for the issuance of a duplicate copy of seafarer's identity document.

(3) Where a seafarer's identity document is lost under extraordinary circumstances and the logbook entry or other required documents are not available due to circumstances which are beyond the control of the concerned seafarer's identity document holder or master of the vessel, the seafarer's identity document holder may apply to the concerned issuing authority in Form-III through the seafarer's identity document e-module along with the documentary evidence submitted by the Flag State or by the ship owner, and the fee as specified in Schedule for the issuance of a duplicate copy of seafarer's identity document.

(4) The seafarer's identity document number shall remain unchanged in the duplicate copy of the seafarer's identity document:

Provided that in case of loss of a certificate due to fire on board a vessel or due to any other marine peril, no such fee shall be charged.

8. **Issuance of replacement seafarer's identity document.** — (1) Where a seafarer's identity document is defaced, destroyed, lost, mutilated or torn, the holder may apply to the issuing authority in Form-III through the seafarer's identity document e-module for the issuance of a replacement seafarer's identity document along with a fee as specified in Schedule.

(2) An application for alteration or modification of any particulars in the existing seafarer's identity document shall be in Form-III through the seafarer's identity document e-module, accompanied by a valid passport and any other necessary documents issued by the Central Government or State Government.

(3) The applicant shall submit the existing seafarer's identity document prior to the issuance of the replacement seafarer's identity document.

(4) The seafarer's identity document number shall remain unchanged in the replacement seafarer's identity document.

9. **Suspension, withdrawal or cancellation of a seafarer's identity document.** — (1) The Director-General may, under sub-section (3) of section 98 of the Act, direct the issuing authority to withhold the seafarer's identity document for such period as may be specified in such direction.

(2) Where a seafarer is convicted of an offence under sub-section (1) of section 100 of the Act in case of smuggling of goods, the Director-General may direct the issuing authority that the seafarer's identity document of such seafarer be cancelled or suspended, as the case may be, for such period as may be specified in the direction.

(3) The seafarers' identity document shall be promptly withdrawn by the issuing authority if it is ascertained that the seafarer's identity document holder no longer meets the criteria specified in rule 2.

(4) In case of any report of death or disappearance of a seafarers' identity document holder, the seafarers' identity document may be cancelled by the concerned issuing authority.

(5) In case of cancellation of continuous discharge certificate, the seafarers' identity document shall be cancelled by the concerned issuing authority.

(6) Every order for cancellation, withdrawal or suspension shall be issued by way of a reasoned order in writing and sent by the issuing authority to the seafarer's identity document holder, all other issuing authorities in India and the Director-General.

(7) No order under this rule shall be passed unless the seafarer's identity document holder has been given an opportunity of being heard.

(8) A person whose seafarer's identity document is cancelled shall be debarred from applying for renewal of seafarer's identity document for such period as may be specified by the issuing authority in the order for cancellation.

10. Surrender of a seafarers' identity document. — (1) In case of permanent disablement, the seafarers' identity document holder shall surrender their seafarers' identity document to the issuing authority immediately upon the payment of compensation, after which the issuing authority shall cancel the same by way of endorsement and return such cancelled continuous discharge certificate to such person.

(2) If a seafarers' identity document holder wishes to discontinue the sea-going service and requests for cancellation of their seafarers' identity document, the holder shall surrender their seafarers' identity document to the issuing authority, after which the issuing authority shall cancel the same by way of endorsement and return such cancelled continuous discharge certificate to such person.

11. Recognition and facilitation of seafarers' identity document issued under the convention. — Subject to public health, public safety, public order or national security considerations, a valid seafarer's identity document possessed by a person, Indian or otherwise, issued in accordance with the convention shall be recognised for the purposes of entry, shore leave, transit and transfer.

12. Quality control and evaluations. — The Director-General shall ensure that seafarers' identity documents are issued through a secure and quality-controlled system in accordance with article 5 of the convention.

13. Fee. — (1) The fees payable under these rules shall be such as specified in Schedule or such other fees as the Central Government may, by notification, specify.

(2) Fees shall be payable to the issuing authority through the seafarer's identity document e-module.

14. Administrative appeal mechanism. — (1) Any person aggrieved by any order of the issuing authority under these rules, may, within a period of sixty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the jurisdictional principal officer.

(2) The principal officer shall dispose of such appeal within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal.

(3) No order shall be passed under this rule unless the parties have been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) Every appeal made under this rule shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

Schedule

Fees

[See rules 4(1), 6(1), 6(3), 7(1), 7(2), 7(3), 8(1), 13(1)]

Sr. No.	Particulars	Amount in Indian rupees (INR)
(1)	(2)	(3)
1	Application for issuance of seafarer's identity document.	3000/-
2	Application for renewal of seafarer's identity document.	3000/-
3	Application for duplicate seafarer's identity document.	3000/-
4	Application for replacement or alteration seafarer's identity document.	3000/-

FORM-I

[See sub-rule (1) of rule 4]

Application Form for seafarer's identity document

1. Application No.: (online system generated No.)
2. Fee details:
3. Indian National Database of Seafarer No.:
Date of Issue:
4. Continuous discharge certificate No. or such documents as may be notified by the Central Government under clause (ii) of rule 2:
Date of Issue:
Date of expiry:
Issuing Authority:
5. Name:
6. Father's name:
7. Sex:
8. Date of birth:
9. Place of birth:
10. Nationality:
11. E-mail address:
12. Mobile No.:
13. Height:
14. Identification Mark (if any):
15. Address:
Street:
Village or Post or Tehsil:
District:
Pin code:
Phone No:
Nearest Police Station:
16. Have you applied for a seafarer's identity document before:
17. Have you ever been at any time debarred from obtaining:
 - a. Continuous discharge certificate:
 - b. Seafarer's identity document:

Signature:

Date:

Declaration

1. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or distorted.
2. I also affirm and declare that I have not previously been issued with seafarers' identity document and I have not submitted an application for seafarers' identity document to any other issuing authority in India.
3. I am aware that if any time I am found to have concealed or distorted any material information and the issuing authority has reason to believe that I have obtained the seafarers' identity document by presenting false or erroneous information, my seafarers' identity document will be cancelled, withheld or suspended forthwith as per the provisions contained in the Merchant Shipping (Seafarers' Identity Document) Rules, 2026.

Place:.....

Signature of the applicant

Date:

Name of the applicant

1. Application No.: (online system-generated No.)
2. Application for:
 - a. Renewal of seafarer's identity document:
 - b. Duplicate seafarer's identity document:
 - c. Replacement seafarer's identity document:
3. Fee details:
4. Indian National Database of Seafarer No.
Date of issue
5. Continuous discharge certificate No. or such documents as may be notified by the Central Government under clause (ii) of rule 2:
Date of Issue:
Date of expiry:
Issuing Authority:
6. Seafarer's identity document No.:
Date of issue:
Date of expiry:
Issuing Authority:
7. Name:

8. Have you ever been at any time debarred from obtaining-
 - a. Continuous discharge certificate:
 - b. Seafarer's identity document :
9. Has your seafarer's identity document been cancelled or withdrawn or suspended under these rules:
10. Details of modification of any particulars in your seafarer's identity document:
11. Whether your seafarer's identity document is:
 - a. defaced:
 - b. destroyed:
 - c. lost:
 - d. mutilated:
 - e. torn:
12. In case of seafarer's identity document is lost (as may be applicable):
 - a. Complaint No.:
 - Date:
 - Police Station:
 - b. Enquiry report:
 - c. Official logbook entry:
 - d. Documentary evidence submitted by the flag State or by the ship owner:

Signature :

Date:

Declaration

1. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or distorted.
2. I also affirm and declare that I have not submitted an application for seafarer's identity document to any other issuing authority in India.
3. I am aware that if any time I am found to have concealed or distorted any material information and the issuing authority has reason to believe that I have obtained the seafarer's identity document by presenting false or erroneous information, my seafarer's identity document will be cancelled, withheld or suspended forthwith as per the provisions contained in the Merchant Shipping (Seafarers' Identity Document) Rules, 2026.

Place:.....

Signature of the applicant.....

Date:.....

Name of the applicant.....

[F.No. SY-19014/197/2025-MG-Part(1)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.